न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–145/2022

गणेश प्रसाद चौधरी एवं अन्य..वादीगण

बनाम

समाहर्ता प0 चम्पारण एवं अन्य..प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
02.12.2023	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। आज अभिलेख वादीगण की ओर से दिये गये आवेदन दिनांक 16.03.2023 के आदेश हेतु नियत है। वादीगण की ओर से दिनांक 16.03.2023 को आदेश 39 नियम 1 एवं 2 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अतंर्गत निषेधाज्ञा आवेदन दिया गया है। **आदेश (ORDER)** वादीगण के द्वारा दाखिल निषेधाज्ञा आवेदन दिनांक 16.03.2023 में कहा गया है कि प्रस्तुत वाद वादीगण द्वारा वादपत्र के मद न0–01 एवं मद न0–02 वाली भूमि के निस्वत अपनी स्वत्व अधिकार की घोषणा एवं दखल कब्जें की सम्पुष्टि हेतु लाया गया है। वादग्रस्त भूमि के निस्वत प्रतिवादी प्रथम पक्ष द्वारा प्रतिवादी द्वितीय पक्ष के नाम निर्गत पर्चा शुन्य एवं अवैध घोषित करने एवं स्थायी निषेधाज्ञा के माध्यम से मद न0–01 एवं 02 वाली भूमि पर प्रतिवादीगण को किसी प्रकार के दस्तावेज निष्पादित करने एवं वादीगण के दखल कब्जें में हस्तक्षेप करने से हमेशा हमेशा के लिए रोक देने हेतु लाया गया है। वादग्रस्त भूमि मौजा–राजपुर, अचंल–गौनाहा, थाना–सहोदरा, जिला–प0 चम्पारण में अवस्थित खाता–18, खेसरा–134 एवं 141 रकबा 12 एकड़ भूमि परमेश्वर राय की थी। परमेश्वर प्रसाद राय ने गणेश प्रसाद को बयनामा दस्तावेज द्वारा विक्रय कर दिया तथा गणेश प्रसाद ने गंगासागर प्रसाद एवं कन्हैया लाल प्रसाद को बजरिये निबंधित दस्तावेज के माध्यम से विक्रय कर दिया तथा कन्हैया लाल प्रसाद ने तीन अदद बयनामा दस्तावेज सं0–2620, 2621 एवं 2622 के माध्यम से दिनांक 09.03.1984 को खाता–18, खेसरा–134, रकबा 2–16–0 भूमि वादी सं0–02 मंजू भगत से उचित प्रतिफल लेकर विक्रय कर दिया तथा दखल कब्जा दे दिया तथा गंगा प्रसाद ने अपने स्वामित्व एवं दखल कब्जें वाली भूमि को वादी	

लगातार 02.12.2023	सं0–01 के पिता रीतलाल चौधरी से उचित प्रतिफल प्राप्त कर खाता–18, खेसरा–141 रकबा 2–2–12–10 धुरकी भूमि तीन अद्द निबंधित दस्तावेज के माध्यम से दिनांक 15.02.1984 को निष्पादित कर स्वामित्व एवं दखल कब्जा दे दिया। अतः बयनामा के आधार पर वादी सं0–01 के पिता एवं वादी सं0–02 स्वामित्व एवं दखल कब्जें में चले आये। बाद में वादी सं0–01 के नाम उनके पिता रीतलाल चौधरी ने निबंधित एतायनामा दिनांक 19.03.1990 के माध्यम से स्वामित्व एवं दखल कब्जा दे दिया तदोपरांत अंचलाधिकारी गौनाहा द्वारा वादी सं0–01 एवं 02 के स्वामित्व एवं दखल कब्जा देखते हुये दाखिल खारिज कर जमाबंदी सं0–224 बनाम मंजु भगत एवं जमाबंदी सं0–225 बनाम गणेश चौधरी के नाम सृजित कर मालगुजारी रसीद निर्गत किया। स्थानीय अंचल द्वारा मूल भू–धारी परमेश्वर प्रसाद राय के नाम संधारित भू–हदबंदी वाद सं0–33/1986–87 में परमेश्वर प्रसाद राय के द्वारा विक्रय की गयी भूमि खाता–18, खेसरा–134 एवं 141 जो वादीगण द्वारा क्रय किया गया था उसमें से 5 एकड़ भूमि भू–हदबंदी वाद में सम्मिलित कर अधिशेष घोषित कर दिया तथा रकबा 5 एकड़ भूमि का पर्चा वितरित कर दिया जबकि परमेश्वर प्रसाद राय द्वारा भू–हदबंदी के पूर्व ही उक्त भूमि विक्रय किया गया था। वादीगण द्वारा जानकारी होने पर समाहर्ता से उक्त भूमि को मुक्त करने का निवेदन किया परंतु समाहर्ता द्वारा आवेदन खारिज कर दिया गया। वादीगण द्वारा भू–हदबंद वाद सं0–33/1986–87 में पारित आदेश के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय पटना में सी0डब्ल्यू0जे0सी0 न0–1038/1993 दाखिल किया। जिसमें सुनवाई के उपरांत माननीय उच्च न्यायालय पटना ने दिनांक 25.02.1993 के आदेश के माध्यम से वादीगण के बयनामा के आधार पर क्रय भूमि पर स्वामित्व एवं दखल कब्जें को स्वीकार करते हुये समाहर्ता प0 चम्पारण को निर्देशित किया कि वादीगण के	

लगातार 02.12.2023	आवेदन का निष्पादन भू–हदबंदी की धारा–9 (2) के अंतर्गत निष्पादित करें। इसके आलोक में समाहर्ता प0 चम्पारण के द्वारा वाद सं0–आर0ए0 129/1987–88 में वादीगण के आवेदन को निष्पादित करते हुये दिनांक 26.12.1996 को आदेश पारित किया कि वादीगण की क्रय की गयी भूमि को परमेश्वर प्रसाद राय के भू–हदबंदी वाद से अलग कर दिया गया अर्थात प्रतिवादीगण का पर्चा अवैध एवं शुन्य हो गया। जिसकी पुष्टि भूमि सुधार उप समाहर्ता नरकटियागंज के न्यायालय में संधारित वाद सं0–162/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 15.03.2012 के द्वारा भी किया गया। अंचलाधिकारी गौनाहा द्वारा अपने ज्ञापांक 335 दिनांक 26. 06.2012 के माध्यम से हल्का कर्मचारी को निर्देशित किया गया कि वादीगण की जमाबंदी सं0–224 एवं 225 को कायम रखते हुये प्रतिवादीगण के पर्चा के आधार पर संधारित जमाबंदी सं0–271, 272, 253, 229 एवं 140 को स्थगित कर दे परंतु अंचल गौनाहा द्वारा जमाबंदी रजिस्टर 02 में छेडछाड एवं ओभर राईटिंग कर भू–हदबंदी वाद सं0–33/1987–88 दर्ज किया गया जबकि भू–हदबंदी वाद सं0–33/1986–87 था। वादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि के बीच में आम का बगीचा लगाया गया है तथा बगीचा के दोनो तरफ कृषि का कार्य किया जाता है। मेड पर आर0सी0सी0 पिलर गाढ कर कटिला तार से घेरा बंदी भी किया गया है। वादीगण वृद्ध है एवं वैशाली जिला में रहते है। जिस कारण प्रतिवादीगण नाजायज फायदा उठाकर वादीगण के विषयगत भूमि के मेड पर अवस्थित पेड तथा विषयगत भूमि का स्वरूप बदलने का धमकी दे रहे है। प्रतिवादीगण स्थानीय है तथा किसी क्षण पेड काट सकते है। प्रतिवादी द्वितीय पक्ष के दबंगई के कारण स्थिति आपातकालीन बनी हुई है। सुविधा की तुला वादीगण के पक्ष में है। अगर प्रतिवादी द्वितीय पक्ष को विषयगत भूमि पर किसी तरह के हस्तक्षेप करने से नही रोका गया तो वादीगण को अपूर्णीय	

लगातार 02.12.2023	क्षति होगी। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि प्रतिवादी द्वितीय पक्ष को वादीगण के मद सं0–01 एवं 02 वाली भूमि पर अस्थायी निषेधाज्ञा के माध्यम से किसी तरह के हस्तक्षेप करने तथा विषयगत भूमि पर जाने से वाद के निष्पादन तक रोक देने की कृपा करें। प्रतिवादी प्रथम द्वारा दिनांक 10.04.2023 को वादीगण के आवेदन का प्रत्युत्तर दाखिल किया गया तथा कहा गया कि वादीगण ने उक्त वाद बिहार सरकार द्वारा निर्गत पर्चा को रद्द करने हेतु दाखिल किया है और यह पर्चा भू–हदबंदी वाद सं0–33/1986–87 के कानूनी रूप से निर्गत किया गया है जो अब पूर्ण हो चुका है और भू–हदबंदी अधिनियम के अंतर्गत कोई भी आदेश पारित होता है तो उसके खिलाफ किसी भी व्यवहार न्यायालय में चुनौती देने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नही है। वादीगण का कोई प्रथम दृष्टया वाद नही है। सुविधा की तुला भी वादीगण के पक्ष में नही है, न ही वादीगण को कोई अपूर्णीय क्षति हो रही है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि वादीगण के निषेधाज्ञा आवेदन को खारिज किया जाय। प्रतिवादी सं0–05 ता 09 की ओर से दिनांक 10.04.2023 को वादीगण के निषेधाज्ञा आवेदन का प्रत्युत्तर दाखिल किया गया तथा कहा गया कि वादीगण के द्वारा दाखिल आवेदन कानून के दृष्टिकोण एवं तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर पोषणीय नही है बल्कि खारिज योग्य है। वादग्रस्त भूमि भू–हदबंदी वाद सं0–29/33/1973–74 में शामिल थी एवं बिना समाहर्ता महोदय से आदेश लिये अंतरण किया गया तथा भू–धारी द्वारा विक्रय किये गये भूमि का अपने यूनिट में शामिल करने का प्रस्ताव नही दिये। जिस कारण वह भूमि अधिशेष घोषित कर प्रतिवादीगण को पर्चा के माध्यम से वितरित कर दिया गया। वादीगण द्वारा गलत वाद संख्या देकर वादग्रस्त भूमि पर दावा किया जा रहा है। सी0डब्ल्यू0जे0सी0 सं0–1038/1993 में माननीय उच्च	

न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–145/2022

गणेश प्रसाद चौधरी एवं अन्य..वादीगण

बनाम

समाहर्ता प0 चम्पारण एवं अन्य...प्रतिवादीगण

लगातार 02.12.2023	न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में समाहर्ता महोदय द्वारा निम्न न्यायालय को निर्देश दिया गया कि वादग्रस्त भूमि को भू–हदबंदी वाद से अलग करने की कार्यवाही किया जाय एवं समान रकबा भू–धारी से आमंत्रित कर उसे ऑपशन में शामिल कर उसे अधिशेष किया जाय, किन्तु यह प्रक्रिया नही हो सकी। अतः वादीगण का आवेदन खारिज किया जाय। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद वादीगण द्वारा वादपत्र के मद न0–01 एवं मद न0–02 वाली भूमि के निस्वत अपनी स्वत्व अधिकार की घोषणा एवं दखल कब्जें की सम्पुष्टि हेतु लाया गया है। वादग्रस्त भूमि के निस्वत प्रतिवादी प्रथम पक्ष द्वारा प्रतिवादी द्वितीय पक्ष के नाम निर्गत पर्चा शुन्य एवं अवैध घोषित करने एवं स्थायी निषेधाज्ञा के माध्यम से मद न0–01 एवं 02 वाली भूमि पर प्रतिवादीगण को किसी प्रकार के दस्तावेज निष्पादित करने एवं वादीगण के दखल कब्जें में हस्तक्षेप करने से हमेशा हमेशा के लिए रोक देने हेतु लाया गया है। किसी भी निषेधाज्ञा आवेदन पर आदेश करने से पूर्व यह देखना होता है कि प्रथम दृष्ट्या वाद किसके पक्ष में है तथा सुविधा का संतुलन किस ओर है? एवं यदि आवेदक का निषेधाज्ञा आवेदन स्वीकार नही किया जाता है तो इससे आवेदक को अपूर्णीय क्षति होगी अथवा नही तथा पक्षकारों का आचरण कैसा है? वादीगण का कहना है कि वादग्रस्त भूमि मौजा–राजपुर, अंचल–गौनाहा, थाना–सहोदरा, जिला–प0 चम्पारण में अवस्थित खाता–18 खेसरा–134 एवं 141 रकबा 12 एकड भूमि परमेश्वर राय की थी। परमेश्वर राय द्वारा वादग्रस्त भूमि गणेश प्रसाद को विक्रय किया गया। गणेश प्रसाद ने वादग्रस्त भूमि गंगासागर प्रसाद एवं कन्हैया लाल प्रसाद को निबंधित विक्रय विलेख के माध्यम से विक्रय कर दिया तथा कन्हैया लाल प्रसाद ने तीन निबंधित विक्रय विलेखों में माध्यम से	

न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–145/2022

गणेश प्रसाद चौधरी एवं अन्य..वादीगण

बनाम

समाहर्ता प0 चम्पारण एवं अन्य..प्रतिवादीगण

लगातार 02.12.2023	दिनांक 09.03.1984 को वादी सं0–02 मंजु भगत को रकबा 02 कट्ठा 16 धुर भूमि विक्रय कर दिया तथा दखल कब्जा दे दिया तथा गंगासागर प्रसाद ने अपने स्वामित्व एवं दखल कब्जें वाली भूमि को वादी सं0–01 के पिता रीतलाल चौधरी को तीन निबंधित विलेखों के माध्यम से दिनांक 15.02.1984 को विक्रय कर दखल कब्जा दे दिया तथा वादी सं0–01 के पिता ने निबंधित एतायनामा दिनांक 19.03.1990 के माध्यम से वादी सं0–01 को क्रय की गयी भूमि का स्वामित्व एवं दखल कब्जा दे दिया। वादीगण के दखल कब्जें को देखते हुये अंचल गौनाहा के द्वारा जमाबंदी सं0–224 मंजु भगत के नाम तथा जमाबंदी सं0–225 गणेश प्रसाद चौधरी के नाम सृजित किया गया। जबकि प्रतिवादी द्वितीय पक्ष को प्रतिवादी प्रथम पक्ष के द्वारा वादग्रस्त भूमि पर्चा से प्राप्त होना बताया गया है। जबकि प्रतिवादी द्वितीय पक्ष के द्वारा अपने कारण–पृच्छा में स्वीकार किया गया है कि सी0डब्ल्यू0जे0सी0 सं0–1038/1993 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में समाहर्ता महोदय द्वारा निम्न न्यायालय को निर्देश दिया गया कि वादग्रस्त भूमि को भू–हदबंदी वाद से अगल करने की कार्यवाही किया जाय एवं समान रकबा भू–धारी से आमंत्रित कर उसे अधिशेष के रूप में लिया जाय किन्तु यह प्रक्रिया राजस्व पदाधिकारियों द्वारा नही किया गया अर्थात प्रतिवादी द्वितीय पक्ष द्वारा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश स्वीकार किया गया है कि वादीगण की वादग्रस्त को भू–हदबंदी वाद से अगल रखने का निर्देश दिया गया है। वादीगण की ओर से दाखिल दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में तथा समाहर्ता महोदय के निर्देश पर प्रतिवादी द्वितीय पक्ष के पक्ष में सृजित जमाबंदी पर अंचल द्वारा रोक लगाने का आदेश भी दिया गया है। प्रतिवादी प्रथम पक्ष का कहना है कि भू–हदबंदी अधिनियम के अंतर्गत अगर कोई आदेश पारित	

न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–145/2022

गणेश प्रसाद चौधरी एवं अन्य..वादीगण

बनाम

समाहर्ता प0 चम्पारण एवं अन्य..प्रतिवादीगण

लगातार 02.12.2023	होता है तो उसके खिलाफ किसी भी व्यवहार न्यायालय में चुनौती देने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नही है। यह प्रश्न वाद के गुण–दोष के आधार पर ही निर्धारित किया जा सकता है। वाद अभी प्रांरभिक अवस्था में है। अतः इस प्रश्न का निर्धारण इस अवस्था में नही किया जा सकता है। अतः प्रथम दृष्टया वाद वादीगण की ओर जाता हुआ प्रतीत होता है। सुविधा की तुला भी वादीगण की ओर है क्योंकि अगर वाद लबंन के दौरान वादीगण को वादग्रस्त भूमि से हटा दिया जाता है तो वाद स्वयं अपास्त हो जायेगा। वाद लंबन के दौरान वादग्रस्त भूमि का संरक्षक न्यायालय होता है तथा न्यायालय का यह परम कर्तव्य है कि वाद लंबन के दौरान वादग्रस्त भूमि की सुरक्षा करे। अतः वाद लंबन के दौरान उभय पक्ष वादग्रस्त भूमि पर यथास्थिति (Status quo) बनाये रखेंगें। अतः वादीगण का निषेधाज्ञा आवेदन दिनांक 16.03.2023 को निस्तारित किया जाता है। उक्त आदेश में किया गया विनिश्चयन वाद के अंतिम न्याय निर्णयन को प्रभावित नही करेगा। उभय पक्षों को निर्देश दिया जाता है कि वाद के शीघ्र निष्पादन हेतु न्यायालय का सहयोग करें। वाद दिनांक 02.01.2024 को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत। लेखापित अवर न्यायाधीश, प्रथम नरकटियागंज	